राजस्व विविध सं. 2014/02081 बअनवान वजाराम वगैरा बनाम नवाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी सं 2 के अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी उपस्थित। अप्राथप्री 1 व 7 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार उपस्थित। अप्रार्थी सं 3, 4, 5 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 6 पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम डुंगरली स्थित भूमि खसरा नं 1, 13, 145, 146 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.15 हैक्टर में से 11 बीघा (1.76 हैक्टर) भूमि प्रतिवादी सं 1, 2 व 7 के हिस्से बंट में रखते हुये शेष 1/2 हिस्सा (2.695 हेक्टर) भूमि वादीगण के एवं शेष 1/2 हिस्सा (2.695 हेक्टर) के खातेदार प्रतिवादी सं. 3 लगाये 5 को घोषित कर विभाजन की डिकी जारी किये जाने हेतु वाद न्यायालय में पेश किया है तथा प्रस्तुत वाद के साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। प्रार्थीगण का वाद व प्रार्थना पत्र मजबूत एवं प्रथम दृष्टया सबल प्रकरण होने से माननीय द्वारा दिनांक 12.02.2014 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध रिकार्ड व मौका की यथास्थिति कायम रखे जाने की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो अस्थाई निषेधाज्ञा आदिनांक तक प्रभावी है। वाद एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लंबित रहते हुये एवं माननीय न्यायालय का दिनांक 12.02.2014 से स्थगन आदेश प्रभाावी होते हुये अप्रार्थी सं 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 1/6 हिस्सा वर्णित करते हुये 1/6 हिस्सा में से 0.88 हेक्टर कृषि भूमि का बेचान दिनांक 29.09.2020 को किया गया। खरीदकर्ता विजयराज चौधरी पुत्र जेठाराम चौधरी जाति जणवा चौधरी निवासी डुंगली को किया गया। जिससे विजयराज को प्रकरण में बतौर अप्रार्थी सं. 7 पक्षकार बनाया गया। वकील प्रार्थी द्वारा आगे दलील दी गई कि वर्णित भूमि का बेचान करने से उक्त बेचान को निरस्त कराने तथा वर्णित भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिये माननीय सिविल न्यायालय बाली में प्रकरण दर्ज करवाया। माननीय सिवील न्यायधीश बाली ने दिवानी विविध प्रकरण सं 14/2022 बअनवान वजाराम वगैरा बनाम नवाराम वगैरा में दिनांक 20.08.2023 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुयें अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी करते हुये अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में कब्जे, उपयोग, उपभोग में हस्तक्षेप नही करने तथा दखल करने से पाबंद किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2014 को पारित आदेश को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में बतौर कानूनी दृष्टांत– 1. 2016(1) डीएनजे (राज.) पेज 317 की प्रति 2. आरआरटी 2009 (1) पेज 481 की प्रति 3. 2017 डीएनजे (एससी) पेज 291 की प्रति पेश किये गयें। साथ ही सिवील न्यायाधीश बाली के दिवानी विविध सं 14/2022 में दिनांक 02.08.2023 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति पेश की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये अप्रार्थी सं. 1 व 7 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी गण के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी में दर्ज इन्द्राजों से होती है। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 का 1/6 हिस्सा भूमि में होने से अपने 1/6 हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं 7 को किया गया। प्रार्थी द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर बिना वंश वंशावली प्रस्तुत किये न्यायालय के सम्मुख सही स्थिति को छिपाते हुये एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार एक सहखातेदार	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम इस हुक्म की तामिल हुये

के विरूद्ध दुसरा सहखातेदार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही होता है। क्योंकि संयुक्त सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक इंच–इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातदेार का कब्जा माना जाता हैं। अतः विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की दलील दीगई। अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील अप्रार्थी पक्ष श्री अमृत परिहार ने निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये–

1. 2019 (2) आरआरटी पेज 777
2. 2010 (2) आरआरटी पेज 1392
3. 2011–12 (supp.) आरआरटी पेज 192
4. 2018 (1) आरआरटी पेज 405
5. 2009 (1) आरआरटी पेज 25
6. 2004 (1) आरआरटी पेज 365

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता चेना के द्वारा गांव डुगली से अपनी संपत्ति को छोड कर ग्राम सिरवीयों का गुडा में अपने ससुराल घर जवाई जाने से इस भूमि पर स्व. चेना व उनके वारिस अप्रार्थी सं 1 व 2 का काश्त व कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं रहा है। इस भूमि पर एकमात्र काश्त व कब्जा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 से 5 का होने से प्रार्थीगण द्वारा घोषणा खातदेारी के साथ उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र में दिनांक 12.02.2014 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई "निषेधाज्ञा भी जारी की गई। अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहते दिनांक 29.09.2020 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 1/6 हिस्सा वर्णित करते हुये अप्रार्थी सं 7को बेचान कर दिया। जिस बेचान को शून्य करार देने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिये प्रार्थीगण द्वारा सिवील न्यायाधीश बाली में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस दिंवानी विविध प्रकरण सं. 14/2022 में माननीय सिवील न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.08.2023 को आदेश पारित करते हुये ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे, उपयोग, उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करेंगें, न ही बेदखल करेंगें। इस प्रकार प्रस्तुत तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्षमें बनना साबित है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत आरआरटी 2009(1) सटीक है। जिसके अनुसार **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 – धारा 212– अस्थाई निषेधाज्ञा–गोद और वंशावली के संबंध मे गंभीर विवांद जो धारा 212 के अंतर्गत कार्यवाही में निर्णीत नही किये जा सकते–विरोधी पक्षकार को भूमि हस्तांतरित करने से रोका–समवर्ती निष्कर्ष–निर्णीत आदेश में अवैधता अथवा क्षेत्राधिकारीता की त्रुटि नहीं है (पैरा 7, 8 , 9)**

इसी प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत 2017 डीएनजे (एससी) पेज 290 भी सटीक है। जिसके अनुसार– civil procedure code 1908-o. Rr. 1, 2 – temporary injunction- dispute of the property between the family members-Appelant is the purchaser of suit land from some members of the family—Plantiff of respondent no. 1 claimed 1/6th share in the suit property and claimed decree for possession also-Defendants denied the claim of the plantiff –Trial court rejected the application but the High Court directed the parties tho maintain the *status quo*

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

till disposal of the suit – Held, Trial court is directed to decide the suit within a period of one year and till then the petitioner shall not transfer or create any third party rights. (para 14 to 17)

विद्वान वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी कानूनी दृष्टांतो का पूर्ण सम्मान व्यक्त किया जाता है। परंतु इस स्टेज पर अप्रार्थी सं 1, 2 व 7 को लाभान्वित नही करती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति

जहा तक सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदुओ का प्रश्न है जैसा कि इस न्यायालय व माननीय सिवील न्यायालय द्वारा पूर्व में मूल वाद के निस्तारण तक विवादित संपत्ति अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से दखलअंदाजी न करें तथा स्वरूप में परिवर्तन नही करे जिससे प्रथम बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित है कि न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी रहते अप्रार्थी सं 1 द्वारा भूमि का बेचान अप्रार्थी सं 7 को किया गया है। एवं यदि दौराने ए दावा विवादित संपत्ति और आगे अंतरित की जाती है और इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य मुकदमेंबाजी और प्रकरण में पेचिदगीयां बढने की संभावनाओ से इंकार नही किया जा सकता है। स्थगन आदेश जारी होने पर अप्रार्थीगण को कोई असुंविधा होना ज्ञात नही है क्योंकि शहादत इत्यादि के माध्यम से प्रतिवादीगण(अप्रार्थी) के पक्ष में वाद निर्णीत हो जाता है तो पुनः चाहा गया अनुतोष स्वतः ही प्राप्त हो जावेगा। अतः ये दोनो बिंदु भी तदनुसार प्रार्थी के पक्ष के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि ग्राम डुंगली के खसरा नं 1, 13, 145, 146 कुल खसरा 04 कुल रकबा 7.15 हैक्टर के रिकार्ड व मोके के यथास्थिति कायम रखेगे तथा वादग्रस्त भूमि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अंतरित नही करेंगें एवं न ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल वाद के संलग्न हो।

आदेश आज दिनांक 28-10-24 को सरेइजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner